

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73- 4/2010/20-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15-2-10

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।


विषय - अशासकीय शिक्षण संस्था डी०प्र०न्ही०बी०ओ०आर०एल० पब्लिक स्कूल बीना जिला सागर (म०प्र०) को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा, विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- 1- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 2- संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, सागर अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- 3- शिक्षण संस्था में नानुतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(शोभा इवनाती)
उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

.....2


Principal
DAV BR PUBLIC SCHOOL
BINA (M.P.)



Chairman
DAV BR PUBLIC SCHOOL, BINA

// 2 //

क्रमांक एफ 73- 4/2010/20-3
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 15-2-10

- 1- निज सचिव मान० मंत्रीजी स्कूल शिक्षा म०प्र० भोपाल।
- 2- निज सचिव, प्रमुख सचिव म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- 3- ~~सचिव, अज्ञातसर्वीय शिक्षण संस्था डी०ए०वी०बी०ओ०आर०एल० पब्लिक स्कूल~~
बीना जिला सागर (म०प्र०) को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-
 - (1) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
 - (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 4- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म०प्र०।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर म०प्र०।
- 6- ऑर्डर बुक।



उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
3/2/10


Chairman
DAV BR PUBLIC SCHOOL, BINA

The Manager,
DAV BR PUBLIC SCHOOL
BORL TOWNSHIP, DIST SAGAR
MADHYA PRADESH, SAGAR, 470113
(M: 07580-275401)

**SUBJECT: REQUEST FOR CHANGE OF NAME OF THE SCHOOL FROM DAV BORL PUBLIC SCHOOL
TO DAV BR PUBLIC SCHOOL REG.**

Sir/Madam,

This is with reference to school application No.-CN-90100-2324 dt. on the subject cited above.

In this connection, I am directed to convey approval of the Board for change in school's name as per the details mentioned below on the basis of permission granted by the State Education Department and supporting documents submitted by the school.

Category	From	To
Change of name of school	DAV BORL PUBLIC SCHOOL	DAV BR PUBLIC SCHOOL

The above approval will be subjected to following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school is required to renew Building Safety and Fire Safety certificates on regular basis.
3. The school will not run any branch or part of school with old school name and will not use its old school name in any manner in future.
4. In case of land documents presently in the old name of school, the school to submit revised land documents in favor of revised name of school/society/trust/company within one month.
5. The approval is subject to final outcome of pending legal case/ litigation and any other issues arising out of change of name of school and Board shall not be responsible for any dispute/legal issue arising out of change of name of school.
6. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

The school should change all the records and letter heads accordingly. All concerned are requested to note above accordingly.

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)


Principal
DAV BR PUBLIC SCHOOL
BINA (M.P.)